राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 6/95-96/धौलपुर 19

यह प्रमाणित किया जाता है कि आशा गालब शिक्षा समिति धौलपुर जिला धौलपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम नं. 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया ।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक पच्चीस माह अगस्त सन् एक हजार नौ सौ पिच्चानवें को धौलपुर में दिया गया ।

रजिस्ट्रार संस्थायें, राजस्थान,
धौलपुर

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थाएं,

~~[illegible]~~ धौलपुर

रजिस्टर्ड

क्रमांक फा0 संस्था रजि०/ 2256/ जयपुर, दिनांक 25/8/95

श्री ---------------------------

दिनेश कुमार त्यागी

मंत्री

[illegible] समिति, [illegible]-धौलपुर

विषय:- राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत संस्था रजिस्ट्रीकरण के बारे में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र क्रमांक --6/95-96/धौलपुर-- दिनांक --25-8-95-- संलग्न है, जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की ओर भी आकर्षित किया जाता है। जिसके प्रावधानों के अनुसार आपको प्रतिवर्ष आम सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनाएं भेजना जरूरी है:-

1- संस्था के मामलों का प्रबन्ध जिसको सौंपा गया है, उस परिषद, समिति या अन्य शासी निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद के।

2- एक विवरण पत्र जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है, के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3- संस्था के नियमों और विनियमों की एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो [illegible] निकाय के शासकों, संचालकों, न्यासों या [illegible] कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये [illegible] प्रतिलिपि जो उपरोक्त रीति से सही प्रमाणित की हुई हो, [illegible] की तारीख से पन्द्रह दिन के अन्दर अन्दर इस कार्यालय को [illegible]

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4(ख) की ओर आकर्षित किया जाता है [illegible] अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने [illegible] अपराध सिद्ध होने पर, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो [illegible] सकेगा तथा लगातार भंग होने की दशा में और ऐसे [illegible] प्रत्येक दिन के लिये जिसमें कि ऐसे अपराध के लिये प्रथम [illegible] जारी रहती है, पचास रुपये से अधिक नहीं होगा। यदि कोई [illegible] 4 [illegible] प्रस्तुत की गई सूची में या धारा 4 [illegible] विवरण पत्र या नियमों और विनियमों की या उनमें किये गये [illegible] प्रतिलिपि में जानबूझकर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लोप करता या [illegible] है तो वह अपराध सिद्ध होने पर ऐसे अर्थ दण्ड से दंडनीय होगा जो [illegible] हजार रु. तक का हो सकता है।

नोट:- इस कार्यालय से भविष्य में किसी भी प्रकार का पत्र व्यवहार करते समय संस्था का रजिस्ट्रेशन नं० एवं वर्ष अंकित करें।

ऋषि गालब शिक्षा समिति /सोसायटी/संस्थान

संघ विधान -पत्र

1- संस्था का नाम — इस संस्था का नाम ऋषि गालब शिक्षा समिति / सोसायटी/संस्थान है व रहेगा ।

2- पंजिकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र — इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय ग्राम सिरौली पोस्ट-सिरौली जिला धौलपुर (राज0) है तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला धौलपुर राजस्थान क्षेत्र तक सीमित होगा ।

3- संस्था के उद्देश्य — इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है:-

1-विधार्थियों को बौद्धिक ,शारीरिक,चारित्रिक शिक्षा प्रदान करना।

2-साक्षरता का प्रसार करना ।

3- महिला शिक्षा का विस्तार करना ।

4- कुंचितों की शिक्षा की ओर ध्यान देना ।

5- बाल बाडी स्थापित करना ।

6- यथा समय विधार्थियो को देश की अन्य संस्थाओ में ज्ञान वर्धन के लिए भ्रमण कराना ।

7- विधार्थियो को स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान करना।

3- "वसुधैव कुटुम्बकम् " केसिद्धान्त को जीवन में अपना कर विश्व कल्याण में योगदान देना ।

9- जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि कोण अपना कर जीवन को समुन्नत बनाना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ती में कोई लाभ निहित नही है ।

1. संस्था का पंजीयन क्रमांक — 61/95-96/धौलपुर
2. संस्था का नाम — ऋषि गालब शिक्षा समिति, धौलपुर
3. पंजीयन कार्यालय — सहायक रजिस्ट्रार ...
4. ... की संख्या — 9
5. पंजीयन दिनांक — 25/8/...
6. सहायक रजिस्ट्रार

संस्थायें -

4- संस्था का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित है:-

क्र.स.	नाम पिता का नाम	व्यवसाय	आयु	पूर्ण पता	पद
1-	श्री रवीन्द्र सिंह पुत्र श्री हरी लाल	कृषि	25	सिरौली धौलपुर	अध्यक्ष
2-	,, विनोद कुमारपुत्र श्री महेन्द्र सिंह त्यागी	व्यापार	27	सिरौली धौलपुर	मंत्री
3-	,, डा महेन्द्र सिंह/ श्री करण सिंह	अध्यापक	50	सिरौली धौलपुर	कोषाध्यक्ष
4-	,, शिवनारायण/ श्री पूरन सिंह त्यागी	कृषि	35	पहाडी धौलपुर	उपाध्यक्ष
5-	,, भजेन्द्र सिंह / श्री शंकर त्यागी	व्यापार	32	जी. टी. रोड धौलपुर	सदस्य
6-	" भीकाराम /श्री मुन्नाराम	टी. ओ.	40	गुरुद्वारा धौलपुर	सदस्य

5- हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता, जिके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकरण करवाने के इच्छुक है :-

क्र.सं.	नाम/पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री पूरे लाल त्यागी/श्री करण सिंह	कृषि	जिरौली धौलपुर	
2-	श्री राकेश कुमार त्यागी/श्री महेन्द्र सिंह	..	....	
3-	" दिनेश कुमार/श्री महेन्द्र सिंह	..	.. ..	
4-	" महेन्द्र सिंह/ श्री करन सिंह	अध्यापक	.. ..	
5-	" शिवचरनलाल /श्री पूरण सिंह	कृषि	ग्राम पहाड़ी धौलपुर	
6-	" सुनहरी लाल /श्री करण सिंह	अध्यापक	जिरौली धौलपुर	
7-	" विनोद कुमार/श्री महेन्द्र सिंह		.. ..	
8-	" अजमेर सिंह /श्री हरीशंकर		जी.टी. रोड धौलपुर	
9-	" गजेन्द्र सिंह /श्री पूरे लाल	कृषि	जिरौली धौलपुर	
10-	" जयकुमार/ श्री पूरे लाल	..	.. ..	
11-	श्रीमति रानी/पत्नी श्री विनोद कुमार	गृहणी	.. ..	
12-	श्री ओम प्रकाश/श्री महीपाल	कृषि	ग्राम पहाड़ी धौलपुर	
13-	श्री मोहन सिंह /श्री हरीशंकर	..	.. ..	
14-	" रविन्द्र सिंह /श्री ठाकुर दास		जी.टी. रोड धौलपुर	
15-	" पुरुषोत्तम श्रीवास्तव/श्री निरंजनलाल		शास्त्री नगर धौलपुर	
16-	" ओंकारराम /श्री मुन्नाराम		गुरुद्वारा धौलपुर	
17-	" भूरी सिंह /श्री [illegible]		हुल कोट धौलपुर	

हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ताओ को हम जानते है व उन्होने हमारे समक्ष अपने-अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषणा करते है कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

1- हस्ताक्षर

(नाम /व्यवसाय/पूर्ण पता)

2- हस्ताक्षर

(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

नाम संस्था :- श्री बालाजी शिक्षा समिति /सोसायटी/ ...

विधान (नियमावली)

1- संस्था का नाम : इस संस्था का नाम श्री बालाजी शिक्षा समिति/सोसायटी/संस्थान है व रहेगा ।

2- पंजिकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र : इस संस्था का पंजिकृत कार्यालय धौलपुर है तथा इस का कार्य क्षेत्र जिला धौलपुर राज0 तक सीमित रहेगा /होगा ।

3- संस्था के उद्देश्य : इस संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य है :-

1- विद्यार्थियों को बौधिक ,शारीरिक ,चारित्रिक शिक्षा प्रदान करना ।

2- साक्षरता का प्रसार करना ।

3- महिला शिक्षा का विस्तार करना ।

4- बालकों को शिक्षा की ओर ध्यान देना ।

5- आंगनबाड़ी स्थापित करना ।

6- यथा समय विद्यार्थियों को देश की अन्य संस्थाओं निरीक्षण दर्शन के लिये भ्रमण कराना ।

7- विद्यार्थियों को स्वावलम्बन की शिक्षा प्रदान कर

8- "वसुधैव कुटुम्बकम्" के सिद्धान्त को जीवन में अपना कर विश्व कल्याण में योगदान देना।

9- जीवन में वैज्ञानिक दृष्टि कोण अपनाकर जीवन को सुखमय बनाना ।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नह

4- सदस्यता : निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे ।

1- संस्था के कार्य-क्षेत्र में निवास करते हो ।

2- बालिग हो ।

3- पागल वदोवालिये न हो ।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हो।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हो ।

5- सदस्यों का वर्गीकरण : संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत भी किये जा सकेगें ।

6. सदस्यों द्वारा प्रवेशशुल्क व चन्दा : उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देयहोगा ।

1- संरक्षक - राशि 500/- वार्षिक
2- विशिष्ठ - राशि365/- वार्षिक
3- सम्मानिय - राशि -
4- साधारण- राशि 101/- वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रू0 को मासिक दर से जमा कराई जा सकेगी।

7- सदस्यता से निष्कासन : संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:-

1- मृत्यु होने पर ।
2- त्याग पत्र देने पर ।
3- संस्था के उद्देश्यो के विपरीत कार्य करने।
4- प्रबन्ध कारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर !

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15दिनकेअन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु पेशसमझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिमहोगा।

8- साधारण सभा : संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा कानिर्माण करेंगे ।

9- साधारण सभा के अधिकार और कर्तव्य : साधारण सभा के निम्न अधिकारऔर कर्तव्यहोंगे।

1- साधारण सभा द्वारा प्रबन्ध कारिणी काचुनाव करना !
2- वार्षिक बजट पारित करना ।
3- प्रबन्ध कारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना ।
4- संस्थाके कुल सदस्यों के2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन, अथवा परिवर्द्धन करना। रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाईल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करलागू करना ।

10- साधारण सभा की बैठक : साधारण सभा की वर्ष मेंएक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष अथवा मंत्रीद्वारा

2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा ।

3- बैठक की सूचना 7 दिवस पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी ।

4- कोरम के ~~अभाव में~~ अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः सात दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे ।

5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इसमें से जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर मन्त्री/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे ।

धारा 11- कार्यकारिणी का गठन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये एक प्रबन्ध कारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे ।

1- अध्यक्ष	एक
2-उपाध्यक्ष	एक
3-मन्त्री	एक
4- कोषाध्यक्ष	एक
5- सदस्य	सात/तीन /पांच

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पद नाम परिवर्तन किये जावे तो यहां अंकित करें कम रखना चाहे तो कम रखे)

इस प्रबन्ध कारिणी में 4 पदाधिकारी व 3 सदस्य कुल सात सदस्य होंगे ।

12- कार्यकारिणी का निर्वाचन : संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिये साधारण सभा द्वारा किया जायेगा

: चुनाव प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जायेगा

: चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी ।

13- कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य । : संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे ।:-

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना ।

2- वार्षिक बजट तैयार करना ।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना ।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना ।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना ।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियाँ बनाना ।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना ।

14- कार्यकारिणी की बैठकें : कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठक अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी ।

: बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी को कुल संख्या के आधे से अधिक होगा ।

: बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व दी जायेगी । तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती हैं ।

: कोरम के अभाव में बैठक स्थगित भी की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी । ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी । लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेण्डा में थे । ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों

15- प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य : संस्था की प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य निम्न प्रकार होंगे:-

1- अध्यक्ष -

1- बैठकों की अध्यक्षता करना ।
2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
3- बैठकें आहूत करना ।
4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना ।
5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना ।
6- अन्य ।

2- उपाध्यक्ष -

1- अध्यक्षकी अनुपस्थिति में अध्यक्षxxxx
2- के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना ।
3- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना ।

3- मन्त्री -

1- बैठकें आहूत करना ।
2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना ।
3- आय व्यय पर नियन्त्रण करना ।
4- वैतनिक कर्मचारियोंपर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना ।
5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना ।
6- पत्र व्यवहार करना ।
7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो करना ।

4- उप मंत्री -

1- मंत्री की अनुपस्थिति में मंत्री पद के समस्त

8- कोषाध्यक्ष -

1- वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना ।

2- दैनिक लेखो पर नियन्त्रण रखना ।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना ।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना ।

16- संस्था का कोष - : संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2-शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान ।

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित की जायेगी ।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन देन संभव होगा ।

17- कोष संबंधी वित्तीयाधिकार : 1- संस्था के हित में प्राप्त कार्य व समय की आवश्यकता अनुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे ।

1- अध्यक्ष 1000/- रु0

2- मन्त्री 500/- रु0

3- कोषाध्यक्ष 200/- रु0

उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबन्धकारिणी से xá से कराया जाना आवश्यक है होगा ।

18- संस्था का अंकेक्षण : संस्था के समस्त लेखे जोखो का वार्षिक अंकेक्षण चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

19- संस्था विधान में परिवर्तन : संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन परिवर्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधि

20- संस्था का विघटन : यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी लेकिन इसकी समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी ।

21- संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षण : रजिस्ट्रार संस्थाएं धौलपुर को संस्था के निरीक्षण का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) शक्ति गालब शिक्षा समिति ... की सही व सच्ची प्रतिलिपि है ।

अध्यक्ष
जालेन्द्र सिंह

मंत्री
विनोद कुमार

कोषाध्यक्ष